Volume-9, No. 2 Aug.-2022, pp. Hin.19-23

अपचारी एंव वंचित किशोरों की सामाजिक (पारिवारिक–आर्थिक) स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 मंजू गुप्ता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग
दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर उत्तर–प्रदेश भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोधपत्र में अपचारी एंव वंचित किशोरों की सामाजिक (पारिवारिक एंव आर्थिक) स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अपचारी व वंचित किशोरों की पारिवारिक–आर्थिक स्थितियों को समझने का प्रयास कर उनकी पारिवारिक–आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं की तुलना करना तथा तत्सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत करना है। अध्ययन हेतु न्यायदर्श के रूप में 60 किशोरों (30 अपचारी व 30 वंचित) का चयन किया गया है। पारिवारिक–आर्थिक स्थिति की तुलना हेतु 'स्वनिर्मित अनुसूची' का प्रयोग किया गया है तथा आकड़ों का विश्लेषण एंव व्याख्या प्रतिशत विधि की सहायता से किया गया है।

संकेत शब्द: अपचारी किशोर, वंचित किशोर, पारिवारिक आर्थिक स्थिति

प्रस्तावना

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इन्हे संस्कारवान व सुदृढ़ बनाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का दायित्व परिवार, समाज व शासन का है। किन्तु विपरीत पारिवारिक स्थितियों व सामाजिक दुर्व्यवस्था के चलते बच्चे गलत कार्यों की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। हमारे देश के 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' के पिछले 10 वर्षों के आकड़ों के अनुसार कुल रिकार्डेड अपराधियों में से लगभग एक प्रतिशत नाबालिग हैं।

बाल अपराध किसी निश्चित आयु सीमा के अर्न्तगत आने वाले बालक द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य है जो उसके लिये उस क्षेत्र में तात्कालिक प्रभावी कानून द्वारा वर्जित है। इस प्रकार जब किशोर वय बालक समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों एंव मान्यताओं को न मानते हुये ऐसे कृत्य करते हैं जिससे समाज की शान्ति व्यवस्था भंग होती है तथा शासन द्वारा बनाये गये कानून का उल्लंघन होता है, बाल अपराधी कहलाते हैं। सामान्यतः इसके अन्तर्गत बालकों या किशोरों द्वारा चोरी करने, झूठ बोलने, जुआ खेलने, मादक द्रव्यो का सेवन करने, जेब काटने, झगड़ा करने, दंगा–फसाद करने, सामाजिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहॅूचाने, हथियार रखने, अपराधियों की संगति में रहने, व्यभिचार करने आदि से सम्बन्धित विविध प्रकार के समाज विरोधी कृत्य सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार वंचित किशोर का अभिप्राय समाज के उस वर्ग के बच्चों या किशोरों से है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अथवा शैक्षिक कार्यों से समाज की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रह गये हैं अर्थात इनको समाज द्वारा प्रदत्त अधिकार व सुविधाएं अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में कम प्राप्त हुई हैं तथा जिनकी पूर्ति से वे समाज के सुयोग्य नागरिक बनकर स्वयं अपने तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता

किसी भी देश के किशोर उसका सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिर्पोट 2011 के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ 40 लाख किशोर हैं जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 21% है। (विश्व के लगभग एक चौथाई किशोर भारत में हैं) पिछले दशक में बाल अपराधियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या एंव उनके द्वारा किये गऐ जद्यन्य अपराध (निर्भया कान्ड, 16 दिसम्बर 2012) हमें सोचने पर विवश कर देते हैं कि जिन बच्चों को पढ़ाई–लिखाई एंव दूसरे सकारात्मक, व विकासात्मक कार्य करने चाहिए वो इन नकारात्मक, समाज विरोधी एंव अनैतिक कार्यों की ओर क्यों उन्मुख होते हैं? क्या उनको उचित

पारिवारिक–सामाजिक दशाओं एंव मार्गदर्शन द्वारा इस दिशा में अग्रसर होने से रोका जा सकता हैं? इन सब बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुऐ ही प्रस्तुत विषय का चयन शोध अध्ययन हेतु किया गया है।

प्रस्तुत समस्या के संदर्भ में टी0ई0 शानमुगम (1982), सिंह एम0 (1986), वर्मा, रचना मोहन (2002) , वाल्टर, जॉन (2004), कलाम महबूब (2006), पुरोहित, अणिमा (2008) पुरी मोनिका एंव पटेल, हीरालाल (2014), तथा श्रीवास्तव, रश्मि (2015) आदि ने अपने शोध अध्ययन में अपचारी एंव वंचित बच्चों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है।

समस्या कथन–

अपचारी एंव वंचित किशोरों की सामाजिक (पारिवारिक–आर्थिक) स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

1. अपचारी एंव वंचित किशारों की पारिवारिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. अपचारी एंव वंचित किशारों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. अपचारी एंव वंचित किशारों की पारिवारिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. अपचारी एंव वंचित किशारों की आर्थिक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमांकन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में अपचारी एंव वंचित किशारों की पारिवारिक एंव आर्थिक स्थिति की ही तुलना की गई है।
2. प्रस्तुत शोध पत्र में कानपुर नगर के राजकीय संप्रेक्षण गृह एंव राजकीय सुधार गृह में रह रहें अपचारी एंव वंचित किशारों को ही सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधि मानकर अध्ययन का नियोजन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में केवल 60 (30 अपचारी एंव 30 वंचित) किशोरों को ही न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

समष्टि या जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन की समष्टि कानपुर नगर के समस्त अपचारी व वंचित किशोर हैं।

न्यादर्श व न्यादर्श चयन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में यादृच्छिक न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। इसके अन्तर्गत इकाइयों के चयन हेतु लॉटरी विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श हेतु राजकीय संप्रेक्षण गृह (कानपुर नगर) एंव राजकीय बाल सुधार गृह (कानपुर नगरके) केवल 60(30 अपचारी एंव 30 वंचित) किशोरों का ही चयन अध्ययन हेतु किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अपचारी एंव वंचित किशोरों की पारिवारिक– आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त विचारों (आंकड़ों) को सर्वप्रथम तालिका में व्यवस्थित करने के पश्चात् उपयुक्त सॉख्यिकीय विधि (प्रतिशत %) द्वारा परिणामों को विश्लेषित किया गया है। प्रदत्तों का प्रस्तुतिकरण तालिका की सहायता से किया गया है।

विश्लेषण–1

अध्ययन के प्रथम उद्देश्य **"अपचारी एंव वंचित किशोरों की पारिवारिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना"** के अन्तर्गत अपचारी एंव वंचित किशोरों की पारिवारिक स्थिति सम्बन्धी आंकड़ों को अग्रलिखित तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका क्रमांक–1

पद संख्या		हॉ		कुछ–कुछ / कभी–कभी		नहीं	
	पद	अपचारी वर्ग %	वंचित वर्ग %	अपचारी वर्ग %	वंचित वर्ग %	अपचारी वर्ग %	वंचित वर्ग %
1	परिवार का स्वरूप संयुक्त है–	-	-	36.66%	41.66%	63.33	58.33%
2	माता–पिता शिक्षित हैं–	26.33%	3.33%	2.0%	25%	53.33%	71.66%

3	माता–पिता से प्यार मिलता था–	23.33%	28.33%	63.33	53.33%	13.33%	18.33%
4	माता–पिता का अनुशासन था–	10%	10%	70%	58.33%	20%	31.66%
5	आपकी कठिनाइयों को सुलझाने मे माता–पिता मदद करते थे–	36.66%	30%	56.66%	51.66%	6.66%	18.33%
6	माता–पिता हर बात मान लेते थे/हैं–	6.66%	20%	70%	53.33%	23.33%	26.66%
7	माता–पिता आपके कार्यो की आलोचना करते थे/हैं–	43.33%	41.66%	30%	35%	26.66%	23.33%
8	माता–पिता अत्यधिक क्रोध करते थे/हैं–	6.66%	15%	76.66%	65%	16.66%	20%
9	माता–पिता आपसी झगड़े के लिए आपको दोष देते थे–	3.33%	13.33%	63.33%	55%	33.33%	31.66%
10	पालन–पोषण माता पिता द्वारा किया गया है	40%	30%	46.66%	50.66%	13.33	19.33%
11	माता–पिता का व्यवहार दूसरो के साथ संतोषजनक था/है	20%	23.33%	63.33%	66.66%	16.66%	10%
12	परिवार में किसी को कानून द्वारा दण्डित किया गया था/है	3.33%	6.66%	-	-	96.66%	93.33%

अपचारी एंव वंचित किशोरों की 'पारिवारिक स्थिति' के सम्बन्ध मे प्राप्त आंकड़ों (तालिका क्रमांक–1) से स्पष्ट होता है कि वंचित किशोरों (58.33%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोर (63.33%) संयुक्त परिवारों से नहीं थे। इसी प्रकार अपचारी बालकों (53.33%) की तुलना में अधिकांश वंचित बालकों (71.66%) के माता–पिता शिक्षित नहीं थे। वंचित बालकों (53.33%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (63.33%) को अपने माता पिता से कम प्यार मिलता था। अनुशासन सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि वंचित किशोरों (58.33%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (70%) के माता–पिता के अनुशासन में सामान्य रूप से कमी थी।

वंचित किशोरों (51.66%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (56.66%) के माता–पिता उनकी कठिनाइयों को सुलझाने में सामान्य मदद करते थे। इसी प्रकार वंचित किशोरों (53.33%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (70%) के माता–पिता सामान्य रूप से उनकी बात मान लेते थे। माता–पिता द्वारा की जाने वाली आलोचना के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि वंचित किशोरों (41.66%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (43.33%) के माता–पिता द्वारा उनके कार्यो की आलोचना की जाती थी। इसी प्रकार वंचित किशोरों (65%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (76.66%) के माता–पिता कभी–कभी बहुत अधिक क्रोध करते थें।

वंचित किशोरों (55%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (63.33%) के माता–पिता में आपसी झगड़े के लिए कभी–कभी बच्चों को दोष देने की प्रवृत्ति पाई गई है। पालन–पोषण सम्बन्धी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जहॉ वंचित किशोरों (50.66%) का पालन पोषण केवल माता या केवल पिता द्वारा किया गया है वहीं अपचारी

किशोरों (46.66%) का पालन पोषण केवल माता या केवल पिता द्वारा किया गया है। इसी प्रकार अपचारी किशोरों (63.33%) के माता–पिता का व्यवहार अधिकांश वंचित किशोरों (66.66%) के माता–पिता के व्यवहार से कम संतोषजनक था। वंचित किशोरो (96.33%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (96.66%) के परिवार मे किसी भी सदस्य को कानून द्वारा दण्डित नहीं किया गया था।

विश्लेंषण

शोध अध्ययन के द्वितीय उद्देश्य '' अपचारी एंव वंचित किशोरों'' की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने के अन्तर्गत अपचारी एंव वंचित किशारों की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आंकड़ों को अग्रलिखित तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका कमांक–2

पद संख्या	पद	अत्यन्त पर्याप्त		पर्याप्त		अपर्याप्त	
		अपचारी वर्ग %	वंचित वर्ग %	अपचारी वर्ग %	वंचित वर्ग %	अपचारी वर्ग %	वंचित वर्ग %
13	माता–पिता की आजीविका का साधन	16.66%	13.33%	76.66%	66.66%	6.66%	20%
14	जरूरत के हिसाब से माता–पिता की आय	30%	20%	56.66%	51.66%	13.33%	28.34%
15	घर में स्थान की उपलब्धता	26.66%	18.33%	53.33%	48.33%	20%	33.33%
16	घूमने (पर्यटन) आदि का अवसर	20%	15%	56.66%	60%	23.33%	25%
17	व्यक्तिगत साज सज्जा सम्बन्धी सामान की उपलब्धता	23.33%	13.33%	54.33%	63.33%	22.33%	23.33%
18	भोजन (खान पान) सम्बन्धी उपलब्धता	20%	11.66%	62%	61.66%	18%	26.66%
19	मनोरंजन सम्बन्धी साधनों की उपलब्धता	16.66%	10%	73.33%	68.33%	10%	21.66%
20	इच्छाओं की पूर्ति	30%	6.66%	50%	61.66%	20%	31.66%

अपचारी एंव वंचित किशोरों की 'आर्थिक स्थिति' के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों (तालिका कमांक–2) से स्पष्ट होता है कि वंचित बालकों (66.66%) की तुलना में अपचारी किशोरों (76.66%) के माता–पिता की आजीविका के साधन पर्याप्त थें। इसी प्रकार वंचित बालकों (51.66%) की तुलना में अपचारी किशोरों (56.66%) के माता–पिता की आय प्रर्याप्त थी। घर में स्थान की उपलब्धता सम्बन्धी आंकड़ो से पता चलता है कि वंचित बालकों (48.33%) की अपेक्षा अपचारी किशोरों (53.33%) के घर में पर्याप्त स्थान था। इसी प्रकार घूमने (पर्यटन) आदि के अवसर सम्बन्धी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अपचारी किशोरों (56.66%) की तुलना में वंचित बालकों (60%) को घूमने फिरने का पर्याप्त (ठीक–ठीक) अवसर मिलता था।

व्यक्तिगत साज–सज्जा सम्बन्धी सामान की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राप्त ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि अपचारी किशोरों (54.33%) की तुलना में वंचित किशोरों (63.33%) के पास व्यक्तिगत साज–सज्जा सम्बन्धी सामान पर्याप्त था। इसी प्रकार वंचित बालकों (61.66%) की तुलना में अपचारी किशोरों (62%) को भोजन (खान–पान) की उपलधता पर्याप्त थी, मनोरंजन सम्बन्धी साधनों की उपलब्धता वंचित बालकों (68.33%) की अपेक्षा अपचारी किशोरों (73.33%) को पर्याप्त थी। इसी प्रकार अपचारी किशोरों

(50%) तुलना में वंचित किशोरों (61.66%) की इच्छाओं की पूर्ति सामान्य रूप से हो जाती थी।

निष्कर्ष

1. अपचारी एंव वंचित किशारों की सामाजिक
2. (पारिवारिक) स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी ऑकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वंचित बालकों (53.33%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशोरों (66.33%) को अपने माता–पिता से कम प्यार मिलता था ।
3. इसी प्रकार आर्थिक स्थिति सम्बन्धी ऑकड़ों से पता चलता है कि वंचित किशोरों (66.66%) की तुलना में अधिकांश अपचारी किशारों (76.66%) के माता–पिता की आजीविका के साधन पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं थे/हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

सम्प्रेक्षण एंव बाल सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य बाल अपराधियों एंव वंचित बच्चों को गलत कार्यों के लिए प्रायश्चित करने तथा स्वंय में सुधार लाने का अवसर प्रदान कर उनको आत्म–निर्भर व जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है ताकि वे भविष्य में परिवार व समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निवर्हन कर सकें।

सुझाव

1. सम्प्रेक्षण एंव बाल सुधार गृहों में किशोरो के लिए निरौपचारिक, तथा कम्प्यूटर शिक्षा के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यो तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है।
2. योग, ध्यान, शारीरिक शिक्षा व खेल कूद आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते है ताकि इन किशोरों को शारीरिक–मानसिक रूप से स्वस्थ व इनकी इच्छा शक्ति को सबल बनाया जा सके जिससे कि ये भविष्य में गलत कार्यों की ओर उन्मुख न हो सकें ।

संदर्भ सूची–

1. Burt, Cyril: The Young Delinquent,(1948) New York : D, Appleton & Co. Hall, G. Stanley: Adolescence (1904)

2. Parmar, T.C: Delinquency Among Children. (2008), Arise Publishers & Distributors, New Delhi.

3. Trevor Bennett &: Drugs and Crime (2005) Open University Press. Holloway

4. Upadhyay: Violence Against Children (2015), Knowledge Book Distributors, New Delhi.

5. उपाध्याय, जीतेन्द्र कुमार : बालको के विरूद्ध अपराध एंव किशोर न्याय (2017), सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

6. गुप्ता मंजू: शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (2020), साहित्य रत्नालय, कानपुर।

7. बद्येल डी0सी0: अपराध शास्त्र (2010), विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

8. महाजन धमवीर एंव महाजन कमलेशः अपराध शास्त्र (2006), विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

9. सिंह, बृंदाः बाल अपराध (2010), पंचशील प्रकाशन, जयपुर।